

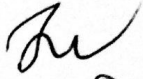
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री गोविन्द सिंह बनाम श्री गणपत सिंह वगै.

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 145 / 2022

01.04.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-145/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री गोविन्द सिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणपत सिंह पिता माधू सिंह राजपूत निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 01.04.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढोलियाखेडा प0ह0 भोपालगढ भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 27 रकबा 0.5311 हैक्टयर आ0नं0 426/375 रकबा 1.0748 हैक्टयर, कुल किता 02 कुल रकबा 1.6059 हैक्टयर (06 बीघा 07 बिस्वा) भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम ढोलियाखेडा प0ह0 भोपालगढ भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 27 रकबा 0.5311 हैक्टयर आ0नं0 426/375 रकबा 1.0748 हैक्टयर, कुल किता 02 कुल रकबा 1.6059 हैक्टयर (06 बीघा 07 बिस्वा) भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम ढोलियाखेडा प0ह0 भोपालगढ भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 27 रकबा 0.5311 हैक्टर आ0नं0 426/375 रकबा 1.0748 हैक्टर, कुल किता 02 कुल रकबा 1.6059 हैक्टर (06 बीघा 07 बिस्वा) भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 350/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पुर 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(आम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा